



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042021-226788  
CG-DL-E-29042021-226788

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 29, 2021/वैशाख 9, 1943

No. 241]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 2021/VAISAKHA 9, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 299(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2021 है।

(2) यह पैरा 2 के खंड (ख) के उपखंड (iv) के जो 15 फरवरी, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, सिवाय राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 22 के उप-पैरा (3) में, -

(क) आरंभिक भाग में “एक ही स्थापना में रोजगार में था” शब्दों के स्थान पर “नियोजन में था” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (i) में, --

(i) “तीस गुणा” शब्दों के स्थान पर “पैंतालीस गुणा” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “या उसकी सदस्यता की अवधि, जो भी कम हो” शब्दों का लोप किया जाएगा;

- (iii) “एक लाख पचास हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “एक लाख पचहत्तर हजार रुपये” शब्द रखे जाएंगे;
- (iv) दूसरे परंतुक से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, और 15 फरवरी, 2020 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-
- “परंतु बीमा प्रसुविधा दो लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी.”;
- (v) दूसरे परंतुक में, “छह लाख रुपये” शब्दों के स्थान पर “सात लाख रुपये” शब्द रखे जाएंगे ।
3. उक्त स्कीम के पैरा 28 के उप-पैरा (4) के खंड (i) में, “केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त” शब्दों के पश्चात् “या अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) या अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
4. उक्त स्कीम के पैरा 29 की दीर्घ पंक्ति में, “चार हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस हजार रुपये” शब्द रखे जाएंगे ।
5. उक्त स्कीम के पैरा 22 के उप-पैरा (3) में किए गए संशोधन से संबंधित इस स्कीम के पैरा (2) के उपबंध इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. आर-16011/1/2020-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 488(अ), तारीख 28 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 286 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2019 द्वारा किया गया था ।

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 15 फरवरी, 2018 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 170(अ), तारीख 15 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा न्यूनतम बीमा प्रसुविधा की अधिकतम सीमा को दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाकर दो लाख पचास हजार रुपये कर दिया गया था, जो 14 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई थी। इसलिए उक्त प्रसुविधा को निरंतरता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए इस संशोधन स्कीम के पैरा 2 के खंड (ख) के उपखंड (iv) को 15 फरवरी, 2020 से भूतकालीन प्रभाव दिया गया है, जो किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2021

**G.S.R. 299(E).**—In exercise of the powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, namely:—

- (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit-Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2021.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette, except sub-clause (iv) of clause (b) of paragraph 2, which shall be deemed to have come into force on the 15<sup>th</sup> day of February, 2020.
2. In the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 22, in sub-paragraph (3),—
  - (a) in the opening portion, for the words “who was in employment of the same establishment”, the words “and was in employment” shall be substituted;

(b) in clause (i),—

- (i) for the words “thirty times”, the words “thirty-five times” shall be substituted;
- (ii) the words “or during the period of his membership, whichever is less” shall be omitted;
- (iii) for the words “one lakh and fifty thousand rupees”, the words “one lakh and seventy-five thousand rupees” shall be substituted;
- (iv) before the second proviso, the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 15<sup>th</sup> day of February, 2020, namely:—  

“Provided that the assurance benefit shall not be less than two lakh and fifty thousand rupees.”;
- (v) in the second proviso, for the words “six lakh rupees”, the words “seven lakh rupees” shall be substituted.

3. In the said Scheme, in paragraph 28, in sub-paragraph (4), in clause (i), after the words “Central Provident Fund Commissioner”, the words and brackets “or Additional Central Provident Commissioner (Head Quarters) or Additional Central Provident Fund Commissioner” shall be inserted.

4. In the said Scheme, in paragraph 29, in the long line, for the words “four thousand rupees”, the words “twenty-five thousand rupees” shall be substituted.

5. The provisions of paragraph 2 of this Scheme relating to amendments made thereto in sub-paragraph (3) of paragraph 22 of the said Scheme shall be in force for a period of three years with effect from the date of publication this Scheme in the Official Gazette.

[F. No. R-16011/1/2020-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

**Note:—** The Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 28<sup>th</sup> July, 1976 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 286(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2019.

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

*Vide* the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 170(E), dated the 15<sup>th</sup> February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 15<sup>th</sup> February, 2018, the minimum assurance benefit ceiling was increased to two lakh and fifty thousand rupees for a period of two years, which expired on the 14<sup>th</sup> February, 2020. Therefore, for the purpose of giving continuity to the said benefit, sub-clause (iv) of clause (b) of paragraph 2 of this amendment Scheme is given effect to retrospectively from the 15<sup>th</sup> day of February, 2020, which will not adversely affect the interests of any person.